न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : मुकेश कुमार कलाल **(R.A.S)**

प्रकरण संख्या 03/2018 (रा.वि.) दायर दिनांक 04.06.2019

1. श्री जीतु पिता सोलाल जाट, निवासी कन्नौज के बजाय–
   1/1 श्री गेहरीलाल पिता जीतू जाट
   1/2 श्री मदनलाल पिता लोभचन्द जाट
   1/3 श्रीमती सुन्दर बाई पत्नि लोभचन्द जाट, निवासी कन्नौज तहसील भदेसर

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

कार्यवाही– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 86 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– वकील प्रार्थीगण – श्री श्याम सुन्दर सोमानी
वकील विपक्षी – पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 20.12.2019

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि विवादास्पद भूमि को बिलानाम सरकार अंकित करने का वैधानिक आधार नही है। योग्य न्यायालय ने रिमाण्ड आदेश की पालना नही होने, विवादग्रस्त भूमि का प्रार्थीगण का बाडा अंकित होने, आवंटन आदेश की प्रतिलिपी प्रस्तुत नही होने, एक ही नाडी के दो दो आराजी नम्बर का लेख्य प्रमाण होने, पानी पूर्वपतः आंवटन के बाद भी भरा होने प्रार्थीगण का आराजी से मिली होने आदि का कोई विधिवत या अविधिगत समाधान नही किया है। अतः शहादत का कानूनी वाचन नही हुआ है। इस प्रकरण में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार ही देखे जायेगें इसी प्रकार विपक्षीगण के जवाब के आधार ही देखे जायेगे यह योग्य न्यायालय व तहसीलदार साहब भदेसर का व्यक्तिगत प्रकरण नही है कि तहसीलदार के बिना बुलाये पत्र के आधार पर प्रकरण का फैसला कर दिया जाये। उससे प्रार्थीगण को अवगत तक नही किया गया है। उसका विपक्षीगण को नोटिस दिया जाता तो अपना जवाब पेश करते। इस प्रकार उस आधार पर निर्णय न्याय व तथ्यों के विपरीत है। नाडी मौके पर अवस्थित है, पूर्व की तरह प्रतिवर्ष पानी भरता है, व भरा रहता है। मौका देखा जा

सकता है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार साहब भदेसर या पटवारी हल्का को मय रेकार्ड तलब किया था। उन्हे तलब भी किया गया, फाईल पर दो–दो तीन–तीन बार आदेश दिये गये, इसके लिये तीन साल का लम्बा समय जाया किया गया। फिर भी प्रार्थीगण को गवाह से जिरह करने का अवसर नही दिया गया जो सर्वथा असंवैधानिक है। प्रार्थीगण का जिरह का अधिकार संवैधानिक है। ऐसा निर्णय दिये बिना कोई भी निर्णय अपूर्ण व असंवैधानिक है। धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम केवल कलक्टर साहब को ही बोर्ड को रेफर करने का अधिकार देता है। योग्य न्यायालय द्वारा तहसीलदार साहब भदेसर को रेफरेन्स के लिये आदेश देने का श्रवणाधिकार नही है व निर्णय विजियेट हो गया है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार भदेसर का प्रार्थना पत्र ड्रॉप फरमाया जावें। विकल्प में उचित साक्ष्य ली जाकर प्रार्थीगण को जिरह का अवसर देने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी (पैराकार सरकार) को सूचना पत्र जारी किया गया। सूचना पत्र बाद तामिल प्राप्त। प्रकरण में विपक्षी की और पैरोकार सरकार उपस्थित।प्रकरण में जांच रिपोर्ट मूल पत्रावली न्यायालय हाजा की संलग्न की गई ।

प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। उक्त प्रकरण से संबंधित पूर्व में इस न्यायालय ने प्रकरण संख्या 02/2006 रेफरेन्स दर्ज हुआ जिसका निर्णय दिनांक 11.07.2008 को हुआ। जिसमें न्यायालय द्वारा तहसीलदार भदेसर को रेफरेन्स प्रार्थना पत्र भेजकर निर्देशित किया कि प्रकरण में निम्न बिन्दूओं की जांच कर प्रकरण रेफरेन्स योग्य हो तो सम्पूर्ण तथ्यों का समावेश करके नये सिरे से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 01/2009 रेफरेन्स सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर बनाम श्री जीतु पिता सोलाल जाट, निवासी कन्नोज वगैराह इस न्यायालय में दर्ज हुआ जिसमें दिनांक 28.02.2018 को निर्णय हुआ। जिसमें प्रश्नगत आराजी नम्बर 1416/1878 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा किस्म नाडी बिलानाम सरकार राजस्व रेकार्ड में किस्म नाला दर्ज है। डी.बी. सिलिव जनहीत याचिका संख्या 1536/2003 श्री अब्दूल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.08.2004 के बिन्दू संख्या 01 व 04 की पालना में 15.08.1947 को राजस्व अभिलेख में दर्शाये गये नदी–नाले,उप नदी, की स्थिति वर्तमान में पूनः बहाल की जानी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत् उक्त किस्म की भूमि को आंवटन किया जाने से प्रतिबंधित श्रेणी में रखी गई है।

तहसीलदार भदेसर की रिपोर्ट दिनांक 21.07.2009 के अनुसार उक्त प्रश्नगत आराजी पर आवंटी का कब्जा नही होकर पानी भरा हुआ है एवं नाडा है। उक्त भूमि बहाव क्षेत्र में आती है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भदेसर को निर्देश दिये जाते है कि आराजी नम्बर 1416/1878 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा भूमि को राजस्व अभिलेख में बिलानाम सरकार किस्म नाडी दर्ज कराने हेतु माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विधिवत आवेदन पत्र 15 दिवस में प्रस्तुत कर कार्यवाही की जावें। आदेश दिये गये थे।

अतः प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन एवं प्रकरण में उभय पक्ष द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये तथ्यों के आधार पर उक्त प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के संबंध में रेफरेन्स इस न्यायालय में दो बार दर्ज हो चुका है एवं निर्णित हो चुका है। अतः उक्त प्रकरण वादी ने इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जो इस न्यायालय क्षेत्र में नही आता है। न्यायालय को पुनः सुनवाई का अधिकार नही है। उक्त प्रकरण रेस ज्यूरीकेटा की श्रेणी में आता है। अतः प्रकरण रेस ज्यूरीकेटा में खारिज किया जाता है। तहसीलदार भदेसर को आदेश दिया जाता है कि इस न्यायालय के पूर्व प्रकरण संख्या 01/2009 निर्णय दिनांक 28.02.2018 की पालना की सुनिश्चित्ता करें।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर अलग से लिखवाया गया।

(मुकेश कुमार कलाल)
अतिरिक्त कलक्टर
(प्रशासन), चित्तौडगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2020.03.04 13:12:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: